## न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्याः— 62 / 2021

1. कासम खां
2. हाकम खां
3. बाबू खां
   पुत्रगण गफूर खा
4. याकूब पुत्र मिसरू खां पौत्र गफूर खां
   जाति कायमखानी, निवासी झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

—— अपीलान्ट्स

**बनाम**

1. भूमि अधिकारी तहसीलदार, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. गोपीचन्द पुत्र रंगलाल
3. श्रवण कुमार
4. राजेन्द्र प्रसाद
5. रामकिशोर
6. विमल कुमार
7. सुशील कुमार
8. नवलकिशोर
   पुत्रगण प्यारेलाल
9. कान्ता पुत्री प्यारेलाल
10. कनिश पुत्र किरण दतक पुत्र रामवतार
11. सरोज
12. किरण
13. रेखा
14. रेणु
    पुत्रियां रामवतार
15. गीता देवी पत्नी ओमप्रकाश
16. मनोज कुमार पुत्र ओमप्रकाश
17. संजय कुमार
18. अजय कुमार
    पुत्रगण शकुन्तला पुत्री प्यारेलाल
19. अंजना पोद्दार
20. सीमा जगनलिया
    पुत्रियां शकुन्तला पुत्री प्यारेलाल
    समस्त जातिगण महाजन, निवासी वार्ड नं० 3, तहसील व जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

—— रेस्पोडेन्ट्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:10 IST
Reason: SelfAttested

— — —

अपील बखिलाफ नामान्तरकरण संख्या 855 दिनांक 15.10.1969 भूमि गत खसरा नम्बर 705 / 1 व 704 / 2 वाके कस्बा झुझुनू।

— — —

उपस्थितः—

1. श्री आलोक शर्मा, अभिभाषक— अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट्स सं0 2 लगायत 20 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

## आदेश

दिनांक 22.09.2022

उक्त विषयक अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के नामान्तरकरण संख्या 855 दिनांक 15.10.1969 भूमि गत खसरा नम्बर 705/1 व 704/2 स्थित वाके कस्बा झुंझुनूं के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातहत का नामान्तरकरण संख्या 855 दिनांक 15.10.1969 को तस्दीक करने मे अदालत मातहत ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये आदेश पारित किया है। अदालत मातहत ने बयनामा दिनांक 3.3.1964 को आधार मानकर नामान्तरकरण तस्दीक किया है परन्तु बयनामा में गत खसरा नम्बर 704/2 वाके कस्बा झुंझुनूं का कोई बयनामा नही है। इस बाबत बयनामा के बाबत गौर न कर नामान्तरकरण तस्दीक किया है। जमीन जैर बहस दर्ज नामान्तरकरण गैर खातेदारी की जमीन है व गैर खातेदारी की जमीन का बेचने का अधिकार गैर खातेदार को नही है। इस बाबत अदालत मातहत ने गौर ना कर मनमाने रूप से आदेश पारित किया है। जमीन जैर बहस गैर खातेदारी की जमीन है व नामान्तरकरण संख्या 855 में भी साफ गैर खातेदारी की भूमि होना दर्ज हैं। परन्तु अदालत मातहत ने गैर खातेदारी की भूमि होने के बाद भी बयनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 855 तस्दीक किया है। नामान्तरकरण संख्या 855 दिनांक 15.10.1969 को स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरकरण व बयनामा विरूद्ध कानूनी होने से इस तरह के नामान्तरकरण की अपील करने के कोई मियाद नही होती है। अपीलान्टस 1 लगायत 3 के पिता व अपीलांट संख्या 4 के दादा गफूर खां का देहान्त हो चुका है। अपीलान्टस 1 लगायत 4 स्व0 गफूर खां के वारिस है। जमीन जैर बहस स्व0 गफूर खां की गैर खातेदारी व उप काश्तकार के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलान्ट्स के पूर्वज स्व0 गफूरखां को यह जमीन जैर बहस का लगान ठिकानेदार को देते थे व बाद में राज्य सरकार को दिया है। जमीन जैर बहस का कोई बेचान अपीलान्टस के पूर्वज स्व0 गफूर खां ने कभी नही किया। इस तरफ अदालत मातहत ने राजस्व रिकार्ड व बयनामा का अवलोकन किये बिना ही नामान्तरकरण संख्या 855 को स्वीकृत किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 20 राजनैतिक हैसियत वाले है व भूमाफिया लोग है। जिनके पूर्वजो ने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर के बिना बयनामा करवाये ही जमीन जैर बहस का नामान्तरकरण संख्या 855 उक्त व्यक्तियो ने बाला बाला षडयंत्र रचकर के छल व दुष्प्रेरण से अपने नाम से नामान्तरकरण संख्या 855 को स्वीकृत करवाया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगयात 20 में राजसी, बिना बयनामा के जमीन जैर बहस का नामान्तरकरण राजस्व अधिकारियो से जमीन हडपने के लिए साजसी किया है, जो कि रेस्पोडेन्ट्स 2 लगायत 20 व तत्कालीन पटवारी हल्का व नामान्तरकरण स्वीकृत करने वाले से मिलकर फर्जी व राजसी रिकार्ड तैयार करवाया हैं जिनका यह आपराधिक कृत्य है। अपीलान्ट के पूर्वजो की गैर खातेदारी की जमीन का नामान्तरकरण संख्या 855 दिनांक 15.10.1969 बिना बयनामा के व गैर खातेदारी की जमीन का बेचान कानूनन नही हो सकता। इस तरह से यह नामान्तरकरण संख्या 855 दिनांक 15.10.1969 विरूद्ध कानून होने से इस तरह के नामान्तरकरण को [illegible] करने के लिए कोई कानूनी समय व रोक ना होने से यह अपील अन्दर मियाद है। राजस्व अधिकारियो को पटवारी हल्का द्वारा दर्ज राजस्व रिकार्ड का अवलोकन ना कर, गलत [illegible] से, गलती कानूनी की है। राजस्व अधिकारियो को स्वतः ही प्रसंज्ञान लेकर के [illegible] रिकार्ड को दुरूस्त करना चाहिये था। अतः अपील अपीलान्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 855 दिनांक 15.10.1969 को निरस्त कर जमीन जैर बहस का पूर्व की भांति राजस्व रिकार्ड में स्व. गफूरखां के वारिसान के नाम से गैर खातेदार में दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:10 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत का नामान्तरकरण संख्या 855 दिनांक 15.10.1969 को तस्दीक करने मे अदालत मातहत ने बिना रिकार्ड का

अवलोकन किये आदेश पारित किया है। अदालत मातहत ने बयनामा दिनांक 03.03.1964 को आधार मानकर नामान्तरकरण तस्दीक किया है परन्तु बयनामा में गत खसरा नम्बर 704/2 वाके कस्बा झुंझुनूं का कोई बयनामा नही है। इस बाबत बयनामा के बाबत गौर न कर नामान्तरकरण तस्दीक किया है। जमीन जैर बहस दर्ज नामान्तरकरण गैर खातेदारी की जमीन है व गैर खातेदारी की जमीन का बेचने का अधिकार गैर खातेदार को नही है। इस बाबत अदालत मातहत ने गौर ना कर मनमाने रूप से आदेश पारित किया है। जमीन जैर बहस गैर खातेदारी की जमीन है व नामान्तरकरण संख्या 855 में भी साफ गैर खातेदारी की भूमि होना दर्ज हैं। परन्तु अदालत मातहत ने गैर खातेदारी की भूमि होने के बाद भी बयनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 855 तस्दीक किया है। नामान्तरकरण संख्या 855 दिनांक 15.10.1969 को स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरकरण व बयनामा विरूद्ध कानूनी होने से इस तरह के नामान्तरकरण की अपील करने के कोई मियाद नही होती है। अपीलान्टस 1 लगायत 3 के पिता व अपीलांट संख्या 4 के दादा गफूर खां का देहान्त हो चुका है। अपीलान्टस 1 लगायत 4 स्व0 गफूर खां के वारिस है। जमीन जैर बहस स्व0 गफूर खां की गैर खातेदारी व उप काश्तकार के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलान्ट्स के पूर्वज स्व0 गफूरखां को यह जमीन जैर बहस का लगान ठिकानेदार को देते थे व बाद में राज्य सरकार को दिया है। जमीन जैर बहस का कोई बेचान अपीलान्टस के पूर्वज स्व0 गफूर खां ने कभी नही किया। इस तरफ अदालत मातहत ने राजस्व रिकार्ड व बयनामा का अवलोकन किये बिना ही नामान्तरकरण संख्या 855 को स्वीकृत किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 20 राजनैतिक हैसियत वाले है व भूमाफिया लोग है। जिनके पूर्वजो ने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर के बिना बयनामा करवाये ही जमीन जैर बहस का नामान्तरकरण संख्या 855 उक्त व्यक्तियो ने बाला बाला षडयंत्र रचकर के छल व दुष्प्रेरण से अपने नाम से नामान्तरकरण संख्या 855 को स्वीकृत करवाया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगयात 20 में राजसी, बिना बयनामा के जमीन जैर बहस का नामान्तरकरण राजस्व अधिकारियो से जमीन हडपने के लिए साजसी किया है, जो कि रेस्पोडेन्ट्स 2 लगायत 20 व तत्कालीन पटवारी हल्का व नामान्तरकरण स्वीकृत करने वाले से मिलकर फर्जी व राजसी रिकार्ड तैयार करवाया हैं जिनका यह आपराधिक कृत्य है। अपीलान्ट के पूर्वजो की गैर खातेदारी की जमीन का नामान्तरकरण संख्या 855 दिनांक 15.10.1969 बिना बयनामा के व गैर खातेदारी की जमीन का बेचान कानूनन नही हो सकता। इस तरह से यह नामान्तरकरण संख्या 855 दिनांक 15.10.1969 विरूद्ध कानून होने से इस तरह के नामान्तरकरण को रद्द करने के लिए कोई कानूनी समय व रोक ना होने से यह अपील अन्दर मियाद है। राजस्व अधिकारियो को पटवारी हल्का द्वारा दर्ज राजस्व रिकार्ड का अवलोकन ना कर, गलत कार्य की तरफ गौर ना करने से, गलती कानूनी की है। राजस्व अधिकारियो को स्वतः ही प्रसंज्ञान लेकर के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करना चाहिये था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 855 दिनांक 15.10.1969 को निरस्त कर जमीन जैर बहस का पूर्व की भांति राजस्व रिकार्ड में स्व. गफूरखां के वारिसान के नाम से गैर खातेदार में दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:10 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट्स सं0 2 लगायत 20 बावजूद [illegible] अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट्स सं0 2 लगायत 20 के विरूद्ध एकतरफा बहस सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि वाके कस्बा झुंझुनूं के कम मे भरा गया नामान्तरकरण संख्या 855 दिनांकित 15.10.1969 का नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट ने यह अपील 54 साल बाद पेश की है जो अन्दर मियाद नही है। अदालत मातहत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण बाद जांच नियमानुसार भरा गया है जिसमे कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया।

दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि नामान्तरकरण संख्या 855 दिनांक 15.10.1969 भूमि गत खसरा नम्बर 705/1 व 704/2 स्थित वाके कस्बा झुंझुनूं जिस विक्रय पत्र के आधार पर भरा गया है उसमे खसरा नम्बर का कहीं कोई अंकन नही है। विक्रय पत्र मे खसरा नम्बर का उल्लेख न होते हुए विक्रय पत्र के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण को सही नही माना जा सकता है। जहां तक मियाद का सवाल है तो ऐसे प्रकरण मे मियाद का बिन्दू कोई मायने नही रखता है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की यह अपील उचित है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत का आदेश दिनांक 15.10.1969 निरस्त किया जाता है। अदालत मातहत का रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( एल0एस0कुडी )
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:10 IST
Reason: SelfAttested